आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के संगत प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निरीक्षक मोटर परिवहन के पद पर भर्ती/चयन के वर्ष 2025 (01.07.2025 से 30.06.2026) तक की 10 रिक्तियों को अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर 10 उपनिरीक्षक मोटर परिवहन को निरीक्षक मोटर परिवहन के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 25.07.2025 को अनुमोदित किये जाने के पश्चात् दिनांक 01.01.2026 को निरीक्षक मोटर परिवहन के पद पर उपलब्ध 01 रिक्ति के सापेक्ष निम्नलिखित उपनिरीक्षक मोटर परिवहन को वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही निरीक्षक मोटर परिवहन के पद पर दिनांक 01.01.2026 से पदोन्नति प्रदान की जाती है:–

क0	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	नियुक्ति का जनपद	चयन का वर्ष
1	12	882761307	दीनानाथ चौबे	श्री राम अवध चौबे	15.02.1969	देवरिया	2025

2– पदोन्नति पाये उपनिरीक्षक मोटर परिवहन अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई के मुख्यालय पर ही कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवा नियमावली–2015 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेगें। पदोन्नति पाये निरीक्षक मोटर परिवहन की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से आदेश पारित किये जायेंगें।

3– पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित उपनिरीक्षक मोटर परिवहन से संलग्न पारूप–''क'' में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या–13/21/89–का–1–1997 दिनांक 28.05.97 के खण्ड–2 में दी 03 परिस्थितियां यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है (ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, उपनिरीक्षक मोटर परिवहन उपरोक्त के विरूद्ध विद्यमान नहीं हो।

4– यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में उपयुक्त प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियां विद्यमान नहीं हैं तो उपरोक्त उपनिरीक्षक मोटर परिवहन को निरीक्षक मोटर परिवहन के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियां विद्यमान पायी जाती है तो ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5– यदि संबंधित उपनिरीक्षक मोटर परिवहन द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में उनके द्वारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाये।

6– आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर **http:// uppolice.gov.in** में **police units** में **Logistics - Circulars** में अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नकःस्व0 घोषणा पत्र

(राजकुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कार्यालय पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स (परिवहन एवं आयुध इकाई)
पंचम तल, टावर–1, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर, विस्तार, लखनऊ 226010

संख्या–लॉजि0–परिवहन–3/2025 दिनांकःलखनऊःदिसम्बर 31 , 2025

प्रतिलिपिः पुलिस अधीक्षक, देवरिया को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त कर्मी के प्रोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अवगत कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वहीं

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन।
2. पुलिस उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र।

स्वघोषणा–पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)————————————————————पुत्र ————————निवासी————————थाना————————जनपद———————— वर्तमान में(जनपद/इकाई)————————————————————नियुक्त हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:–

(1) मेरे विरूद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरूद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई————————में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:————को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु०अ०सं०————————धारा————————————————थाना———————— जनपद————————में लम्बित है, जिसमें दिनांक:————————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी————————द्वारा आरोप–पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में————————स्तर पर चल रहा है।

2– मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा–पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान–
दिनांक:–

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट–स्वघोषणा–पत्र के प्रस्तर–1 के उपप्रस्तर–(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।

Scanned with OKEN Scanner